<u>उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल।</u>

न्यायालय के आदेश कि मामला

रिपोटिंग के लिए स्वीकृत है अथवा नहीं

(अध्याय VIII, नियम 32(2) (ख),)

मामले का विवरण

दीवानी निगरानी संख्या–41 / 2004 निर्णय की दिनांक–28 मार्च, 2008

ए.एफ.आर. (रिपोर्टिंग के लिए अनुमोदित)

रिपोर्टिंग के लिए अनुमोदित नहीं

दिनांक 28.03.2006

(न्यायाधीश का प्रारंभिक)

नोटः जब इसे न्यायाधीश के समक्ष हस्ताक्षर के लिए रखा जाएगा तो बेंच रीडर इस फैसले के पहले पृष्ठ के शीर्ष पर संलग्न करेगा।

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

दीवानी निगरानी संख्या –41/2004

श्रीमती सविता अग्रवाल
पत्नी श्री बद्री विशाल,
बक्शीखोला, अल्मोडा,
जिला अल्मोड़ा।

..... निगरानीकर्ता।

बनाम

1. शारदा मठ न्यास द्वारा
प्रवाजिका प्रभा प्राण (संन्यासी)
अध्यक्ष, श्री शारदा मठ,
दक्षिणेश्वर कलकत्ता (कोटकाटा) पश्चिम बंगाल।
2. प्रवाजिका प्रभा प्राण
3. प्रवाजिका भूमा प्राण
निवासी श्री शारदा मठ शाखा कसारदेवी,
पट्टी खास परजा, तहसील और जिला अल्मोड़ा।
4. श्रीमती सोनम छोडम
पत्नी हेड लामा कुनसांग रेगिंग,
काली मठ एस्टेट, पट्टी खास परजा,
तहसील और जिला अल्मोड़ा।

..... उत्तरदातागण।

श्री बी.डी. पांडे, निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।
श्री सुधीर कुमार, उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता।

माननीय प्रफुल्ल सी. पंत, जे.

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

(2). यह संशोधन, दिनांक 08.06.2004 के निष्कर्ष और आदेश के विरूद्ध निर्देशित है, जिसके तहत विद्वान सिविल जज (सीनियर डीविजन)/ एफ.टी.सी., अल्मोड़ा द्वारा दीवानी वाद संख्या 38/2002 में वाद बिन्दु संख्या 3 और 5 का नकारात्मक, निस्तारण किया गया है।

(2) विचारण न्यायालय द्वारा तय किए गए प्रासंगिक वाद बिन्दु, जिन पर आक्षेपित निष्कर्ष दिए गए हैं, निम्नानुसार हैः–

3. क्या वाद का मूल्यांकन कम है और अदा किया गया न्यायालय शुल्क अपर्याप्त है?

5. क्या, आवश्यक पक्षकार के असंयोजन से वाद बाधित है?

(4) वादपत्र की प्रति के अवलोकन से पता चलता है कि तीन वादी, सारदा मठ न्यास, प्रवजिका प्रभा प्राण और प्रवजिका भूमा प्राण ने प्रतिवादी/पुनरीक्षणवादी और एक अन्य व्यक्ति के विरूद्ध बिक्री विलेख और निषेधाज्ञा को निरस्त करने के लिए वाद दायर किया है। वाद पत्र के पैराग्राफ संख्या 2 में यह निवेदन किया गया है कि वादी संख्या 1 एक पंजीकृत सोसायटी है और प्रभा प्राण इसकी मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि है। वादपत्र में यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1/निगरानीकर्ता ने वादी समाज के स्वामित्व वाली भूमि पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है और उस पर एक होटल का निर्माण शुरू कर दिया है। वादी द्वारा मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया है कि जमीन 1,15,000/– रुपये में खरीदी गई थी। प्रतिवादी/संशोधक द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से विक्रय विलेख निष्पादित कर भूमि वादी समाज की होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य वादपत्र के अनुसार वाद का मूल्यांकन 1,15,000/– रुपये बताया गया है और न्याय शुल्क का भुगतान संबंधित भूमि पर देय भू–राजस्व का 30 गुना किया गया था।

(5). न्यायशुल्क अधिनियम, 1870 (जैसा कि यू0पी0 राज्य द्वारा संशोधित किया गया है और उत्तराँचल के लिए लागू है) की धारा 7 (iv-A) के तहत, एक दस्तावेज (बिक्री विलेख सहित) को रद्द करने के वाद में, शामिल संपत्ति का मूल्यांकित किया जाना आवश्यक है लिखत में उल्लिखित राशि या उस संपत्ति का मूल्य जिससे ऐसा लिखत संबंधित है। उक्त उपधारा (iv–ए) के स्पष्टीकरण में आगे यह प्रावधान किया गया है कि बिक्री विलेख के प्रयोजनों के लिए 'संपत्ति का मूल्य' बाजार मूल्य होगा जिसे अचल संपत्ति के मामले में गणना किया गया मूल्य माना जाएगा। जैसा भी मामला हो, उप–धारा (V), (v-A) या (v-B) के अनुसार, न्यायशुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 7(v) में प्रावधान है कि जहां किसी भूमि के संबंध में राजस्व का निपटान किया जाता है, ऐसी भूमि का बाजार मूल्य ऐसे राजस्व के 30 गुना पर निर्धारित किया जाएगा। कानून के उक्त प्रावधान के मद्देनजर, न तो मुकदमे का मूल्य कम प्रतीत होता है, न ही भुगतान की गई न्यायालय शुल्क अपर्याप्त प्रतीत होता है। इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु संख्या 3 पर दिए गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(6) वाद बिन्दु संख्या 5 पर, निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 की धारा 48 के प्रावधानों के मद्देनजर,

ट्रस्ट की ओर से सभी ट्रस्टियों को मुकदमे को बनाए रखने के लिए पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। यह न्यायालय निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील से सहमत है कि मुकदमा सभी ट्रस्टियों द्वारा एक ट्रस्ट की ओर से दायर किया जाना चाहिए था जब तक कि व्यक्ति इस संबंध में कार्य करने के लिए विधिवत अधिकृत न हो। हालाँकि, केवल वह तर्क प्रतिवादी/निगरानीकर्ता की मदद नहीं करता है। उक्त आधार पर मुकदमा दायर करने के लिए, प्रतिवादी को यह दलील देनी चाहिए थी कि ट्रस्ट के किन ट्रस्टियों को छोड़ दिया गया है और उन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रतिवादी/निगरानीकर्ता ट्रस्टी को दिखाने या उसका नाम बताने में विफल रहा, जो पक्षकार नहीं है या जिसने वादी को वाद कायम रखने के लिए अधिकृत नहीं किया है। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि विचारण न्यायालय ने वाद बिन्दु संख्या 5 का नकारात्मक और वादी के पक्ष में सही निर्णय दिया है

(9). ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, निगरानीकर्ता में कोई बल नहीं है और इस आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। इसलिए निगरानी खारिज की जाती है।

(न्यायाधीश, प्रफुल्ल सी. पंत)

दिनांक 28 मार्च 2006.

एच. नेगी